T7/9 8/2021
15/10/21

JRA?

राजस्थान – सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

तहसीलदार (राजस्व), नोहर

नाम सीगा	रजिस्टर	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तादाद कागजात क	तादाद कागजात ख	योग	नं० रजि० मुहा०
धारा 22 LR Act	01	25-8-2021	22-10-2021				

सरकार	बनाम	1. जयप्रकाश/धर्मपाल/रामचन्द्र/लक्ष्मीनारायण/राजेन्द्र/रामनिवास पुत्रान रामप्रताप – पवन S/o बनवारीलाल जाट सा० डलपतपुरा
(श्री वकील)		(श्री वकील)

फहरिस्त कागजात

नवम्बर शुमार	तारीख शामिल	विवरण कागजात	तादाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 13:15:05 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम जयप्रकाश – धर्मपाल–रामचन्द्र–लक्ष्मीनारायण–राजेन्द्र–रामनिवास पिसरान रामप्रताप, पवन पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन दलपतपुरा किस्म मुकदमा धारा 22 उप0 अधि0 1954 मु0नं0 01 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.08.2021	पटवारी हल्का दलपतपुरा द्वारा ग्राम दलपतपुरा के खसरा नं. 213 की कुल 2.671 है0 बारानी प्रथम सिवाय चक भूमि में से 2.277 है. में ग्वार व 0.0394 है0 में मुंग तथा ख0न0 229 की कुल भूमि 12.697 है0 में से 5.060 है0 में ग्वार व 2.530 है0 में बाजरी गैर मुमकिन सिवायचक बारानी प्रथम की भूमि पर अप्रार्थीगण जयप्रकाश–धर्मपाल–रामचन्द्र–लक्ष्मीनारायण–राजेन्द्र–रामनिवास पिसरान रामप्रताप तथा पवन पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन दलपतपुरा द्वारा नाजायज संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.09.2021 को पेश हो। ह0	878 25/8/21
17.9.21	PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली दिनांक 8/10/21 को पेश हो। ह0	
8/10/21	पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब नहीं पेश किया गया है। भू.-अभिलेख निरीक्षक नेठराना को मौका कुर्की कर नीलाम कर फर्द नीलामी व सुपुर्दगी पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दिनांक 14/10/21 को पेश हो। ह0	D.N. 981 8/10/21
14/10/21	पत्रावली पेशी में ली गई। ILR नेठराना द्वारा कुर्की रिपोर्ट प्राप्त हो शामिल पत्रावली की गई। ILR को कुर्क शुदा फसल को नीलाम करने हेतु लिखा जावे रिपोर्ट आने पर पत्रावली पेश हो। ह0	D.N. 983 14/10/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 13:15:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 01 सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

जयप्रकाश–धर्मपाल–रामचन्द्र–लक्ष्मीनारायण–राजेन्द्र–रामनिवास पि0 रामप्रताप, पवन पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन दलपतपुरा

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः– 22.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का दलपतपुरा ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जयप्रकाश–धर्मपाल–रामचन्द्र–लक्ष्मीनारायण–राजेन्द्र –रामनिवास पि0 रामप्रताप, पवन पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर द्वारा ग्राम दलपतपुरा के ख.न. 2/3 की 2.671 हैक्टर गैर मुमकिन सिवायचक की भूमि में सें 2.277 है0 में ग्वार व 0.0394 है0 में मुंग तथा खसरा न0 229 की 12.697 है0 में सें 5.060 है0 में ग्वार व 2.530 है0 में बाजरी की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण धर पर नही मिलने के कारण सरपंच प्रतिनिधि से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का दलपतपुरा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0नि0 मेघाना को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रू. 1050 /– से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का मेघाना द्वारा कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करने हेतु लिखा जावे एवं अगल से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 13:15:05 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

22.10.2021	पत्रावली पेशी में ली गई। भू.अभि.निरीक्षक से फर्द कुर्की रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकि हैं पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी अप्रार्थीगण घर पर नही मिलने से नोटिस सरपंच प्रतिनिधि से तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगणजयप्रकाश–धर्मपाल–रामचन्द्र–लक्ष्मीनारायण–राजेन्द्र–रामनिवास पि0 रामप्रताप, पवन पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन दलपतपुरा त0 नोहर जिला हनुमानगढ के प0ह0 दलपतपुरा के ख.न. 2/3 की 2.671 हैक्टर गैर मुमकिन सिवायचक की भूमि में सें 2.277 है0 में ग्वार व 0.0394 है0 में मुंग तथा खसरा न0 229 की 12.697 है0 में सें 5.060 है0 में ग्वार व 2.530 है0 में बाजरी नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू.राजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि 1050 रू0 से दण्डित किया जाता है। भू.अभि.निरीक्षक को आदेश दिये जाते है कि वे कुर्क शुद्वा खडी फसल की निलामी करवाकर निलामी राशि बाद अनुमोदन खजाना राज में जमा करावे तथा अतिकमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये। पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया । तहसीलदार(राजस्व) नोहर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 13:15:05 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमागनढ

क्रमाक / राजस्व / 2021 / 1123 — दिनांकः 22.10.2021

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2021 में निर्णय दिनांक 22.10.2021 के द्वारा जयप्रकाश–धर्मपाल–रामचन्द्र–लक्ष्मीनारायण–राजेन्द्र–रामनिवास पि0 रामप्रताप, पवन पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन दलपतपुरा त0 नोहर जिला हनुमानगढ के प0ह0 दलपतपुरा के ख.न. 2/3 की 2.671 हैक्टर गैर मुमकिन सिवायचक की भूमि में से 2.277 है0 में ग्वार व 0.0394 है0 में मुंग तथा खसरा न0 229 की 12.697 है0 में से 5.060 है0 में ग्वार व 2.530 है0 में बाजरी नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू0अ0नि0 मेघाना को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 1050 रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

क्रमाक / राजस्व / 2021 / 1124-26 — दिनांकः– 22.10.2021

प्रतिलिपिः--निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेशित हैः–

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भू.अभिलेख निरीक्षक मेघाना को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें एवं कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द बाद स्वीकृति पेश करने।
3. पटवारी हल्का दलपतपुरा को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जि. हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 13:15:05 IST
Reason: SelfAttested